# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
## विकास पथ, गाजियाबाद
(I.S.O.9001:2015 एवं I.S.O.14001:2015 प्रमाणित संस्था)

| प्रेषक,<br>अधिशासी अभियन्ता जोन–5<br>गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,<br>गाजियाबाद। | सेवा में,<br>प्रभागीय वनाधिकारी,<br>हापुड़ वन प्रभाग,<br>हापुड़। |
|---|---|
| पत्र संख्याः 46/4/ई0ई0 जोन–5/2019 | दिनॉक 21-9-19 |

विषयः– एन0एच0–9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक अपर गंगनहर की मील 106.775 से 107.00 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.20) बाईं पटरी ग्राम मसूरी तहसील गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद एवं अपर गंगनहर की मील 107.00 से 107.984 तक (कि0मी0 171.20 से कि0मी0 172.775) बायी पटरी ग्राम पिपल हेडा तहसील धौलाना जनपद हापुड़ पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांकः 971/14–1 दिनांक : हापुड़ 20 सितम्बर 2019

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि गाजियाबाद वन प्रभाग एवं हापुड वन प्रभाग के अन्तर्गत 106.775 से 107.00 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.20) बाईं पटरी ग्राम मसूरी तहसील गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद एवं अपर गंगनहर की मील 107.00 से 107.984 तक (कि0मी0 171.20 से कि0मी0 172.775) बायी पटरी ग्राम पिपलहेडा तहसील धौलाना जनपद हापुड पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि जो टॉपोशीट में पूर्व में दर्शित थी के रूट अलाइनमेन्ट का संयुक्त निरीक्षण गाजियाबाद वन प्रभाग के क्षेत्र का दिनाक 16.08.2019 एव हापुड वन प्रभाग के क्षेत्र का दिनांक 27.08.2019 को स्थल का निरीक्षण किया गया था जिसमे दो अन्य रूटों का अलाइनमेन्ट टॉपोशीट में दर्शित न होने के कारण उनका निरीक्षण नही हो पाया इसके लिए प्राधिकरण के पत्र सं0–44/4/जोन–5/2019 दिनांक 18.09.2019 द्वारा अन्य अलाइनमेन्ट टोपोशीट में दर्शित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको पत्र प्रेषित की गयी थी। उक्त के क्रम में दिनांक 20.09.2019 को पुन सभी अलाइनमेन्ट का पुन सयुक्त निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण द्वारा आनलाईन आवेदित संदर्भित एप्रोच रोड हेतु जिसमे आधी भूमि सिचाई विभाग की प्रयुक्त हो रही है जिसके लिए उनसे अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है, से बाईं ओर लगी संरक्षित वन भूमि जो 4 मी0 चौडी पट्टी के रूप में हस्तान्तरित की जानी है जिसमे न्यूनतम वन भूमि का क्षेत्रफल प्रयुक्त होगी तथा न्यूनतम वृक्षो का पातन होगा, एकमात्र विकल्प पूर्णतया उचित पाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त एप्रोच रोड के निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा आनलाईन आवेदित संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

21/9/19

O/C (मानवेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अभियन्त्रण जोन–5

पृष्ठांकनः 46/4/ई.ई.जोन–5/19 दिनांक 21-9-19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।

21/9/19

अधिशासी अभियन्ता
O/C अभियन्त्रण जोन–5

प्राप्त किया
21/9/2019

Scanned with CamScanner